

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बर:- 63/2020

निर्णय दिनांक:- 04.04.2024

पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार II (आर०ए०एस०)



1. रामलाल
2. भगवान सहाय
3. गणेशनारायण

पिसरान रामगोपाल जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

वादीगण

बनाम

1. रामनिवास पुत्र रामगोपाल दत्तक पुत्र घासी जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
2. सीता देवी पुत्री रामगोपाल जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
3. सरजू देवी पत्नि रामगोपाल जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
4. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
5. जयपुर नागौर ऑचलिक ग्रामीण बैंक नवीन नाम राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
6. पंजाब नेशनल बैंक शाखा फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:- श्री प्रेमचन्द शर्मा अधिवक्ता वादीगण

श्री लक्ष्मण सिंह चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं० 1 लगा० 3

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 04.04.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खतौनी संख्या 524 के आराजी खसरा नम्बर 484, 485, 507, 508, 510, 513, 5581, 5582, 5934, 5935, 5939, 5941, 5950, 5957, 6511, 6519, 6520, 6522, 6529, 6532, 6550, 6554, 6556, 6607, 6617, 6671, 6673 कुल कित्ता 27 कुल रकबा 15.4650 हैक्टेयर, खाता संख्या 693 के खसरा नम्बर 5965, 5966 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 2.0738 हैक्टेयर, खाता संख्या 694 के खसरा नम्बर 5946 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, खाता संख्या 696 के खसरा नम्बर 5959 रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी व खाता संख्या 390 के खसरा नम्बर 7026, 7027 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.3162 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी व खाता संख्या 570 के खसरा नम्बर 1180, 1181, 1377, 1378 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 1.3909 हैक्टेयर

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी  
फागी, जिला - दूदू

(2)



भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है फागी पश्चिम के खाता संख्या 503 जिसमें प्रतिवादी सं01 के नाम दर्ज सम्पूर्ण आराजी में से वादीगण का 1/5 - 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 का 1/5 हिस्सा, एवं ग्राम फागी उत्तर के खाता संख्या 539 जिसमें प्रतिवादी सं01 के नाम दर्ज सम्पूर्ण आराजी में से वादीगण का 1/5 - 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 का 1/5 हिस्सा, है एवं मौके पर उपरोक्त हिस्सेनुसार काबिज काशत होकर बिना किसी बिध्न बाधा के मुतबातिर चले आ रहे है एवं लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे है। वादीगण के पिता की पुशतैनी आराजीयात खाता संख्या 783 के ख0न0 6675 रकबा 1.2266 हैक्टेयर खाता संख्या 546 के ख0न0 487, 488, 518, 5956, 605, 6525, 6526, 6527, 6557, 6566, 6615, 6616, 6669, 6670, 6794, 6991, 6992 कुल किता 17 कुल रकबा 10.2298 हैक्टेयर, खाता संख्या 547 के ख0न0 6608 रकबा 1.9726 हैक्टेयर, खाता संख्या 694 के ख0न0 5946 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, खाता संख्या 695 के ख0न0 5928 रकबा 2.4658 हैक्टेयर, खाता संख्या 709 के ख0न0 6533 रकबा 2.0485 हैक्टेयर, खाता संख्या 677 के ख0न0 483 रकबा 1.1128 हैक्टेयर, खाता संख्या 678 के ख0न0 6570, 6571 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2771 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी, खाता संख्या 593 के आराजी ख0न0 1179, 1382 कुल किता 2 कुल रकबा 5058 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी, खाता संख्या 423 के ख0न0 7015, 7016, 7017, 7018, 7020, 7021 कुल किता 6 कुल रकबा 0.7713 हैक्टेयर, खाता संख्या 370 के आराजी खसरा नम्बर 7023, 7029, 7066 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5690 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर उक्त आराजी का पर्चा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा घासी के नाम जारी हुआ था। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा रामगोपाल पुत्र भूरा के वारिसान है तथा प्रतिवादी सं01 परिवार में सबसे बडा होने व कर्ताखानदान होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी सं01 ने वादीगण व प्रतिवादीगण के दादा का दत्तक पुत्र बनकर वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी अकेले अपने नाम लगवा ली जबकि उक्त आराजीयात पर वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बराबर - बराबर का हक व हिस्सा है तथा मौके पर भी बराबर - बराबर काबिज काशत करते चले आ रहे है। जबकि वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयांत में वादीगण का 1/6 - 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 व 2, 3 का 1/6 - 1/6 हिस्सा विरासतन निहित है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं01 ने अपने बड़े दादा की जमीन दत्तक पुत्र बनकर अकेले अपने नाम लगवाने के पश्चात अपने संगे पिता रामगोपाल पुत्र भूरा की आराजी में से अपने नाम पिता की विरासत का नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी  
फागी, जिला-बूड़  
लगातार.....3

(3)



सं0 1218 द्वारा अपने नाम खुलवा लिया लेकिन नामान्तकरण के अनुसार प्रतिवादी सं01 के नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती जमाबन्दी में अंकन नहीं हुआ है। लेकिन उक्त वाद पत्र के मद नम्बर 1 व 2 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण का बराबर-बराबर हक व हिस्सा है। वादीगण ने प्रतिवादी सं01 द्वारा अपने बड़े दादा की जमीन को अकेले अपने नाम लगाने का उलेहना दिया तो प्रतिवादी सं0 1 ने कहा कि मौके पर तुम काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं समय मिलने पर मेरे अकेले के नाम लगी जमीन में से तुम्हारे हिस्से अनुसार तुम्हारे नाम लगा दूंगा लेकिन प्रतिवादी सं01 ने आज तक वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम नहीं लगायी व फिर पिता की विरासत का नामान्तकरण भी अपने नाम खुलवा लिया और वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने लग गया। वादीगण ने हाल ही में दिनांक 30.08.2020 को अन्तिम बार प्रतिवादी सं01 से अपने हिस्से की आराजी नाम लगवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी सं0 1 ने हमारे हिस्से की आराजी को हमारे नाम लगाने से इंकार कर दिया व हमारे हिस्से की आराजी को बैचान कर बेदखल करने की धमकी दी इसलिये वादीगण को अपने हितो कर रक्षार्थ यह वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण को वाद कारण दिनांक 30.08.2020 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं01 ने वादीगण के हिस्से की आराजी वादीगण के नाम लगाने से इंकार कर दिया व बैचान कर बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दिये जाने वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो वाद वादीगण निरन्तर जारी है। प्रतिवादी सं0 4 भूमि धारक होने व प्रतिवादी सं0 5 व 6 के भूमि रहन होने से पक्षकार कायम किया गया है, जिनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाही गई है। श्रीमान न्यायालय को उक्त वाद की सुनवाई करने एवं निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 की और से वकील श्री लक्ष्मण सिंह चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 स्वयं हाजिर अदालत आये तथा राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया एवं अपने राजीनामा मे बताया की वाद पत्र के मद नं0 1 व 2 मे वर्णित आराजी वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 की पुश्तैनी आराजी है जिसमे वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को 1/4 - 1/4 हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है प्रतिवादी सं0 2 व 3 का 1/6 - 1/6 हिस्सा

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी  
फ़ागी, जिला-दूदू

(4)

भी वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 के बराबर - बराबर लगाकर वाद पत्र के मद नं० 1 व मे वर्णित आराजी मे 1/4 - 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते है तो हम प्रतिवादी सं० 2 व 3 को कोई आपत्ति नहीं है।



प्रतिवादी सं० 4 लगायत 6 वाद तामिल भी उपस्थित नहीं आये इसलिये प्रतिवादी सं० 4 लगायत 6 के विरुद्ध दिनांक 28.03.2024 को सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

साक्ष्य वादी हेतु वादी सं० 1 ने स्वयं का, पी०डब्लू - 2 केदार पुत्र नारायण जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी प्रधानो का मौहल्ला फागी, पी० डब्लू-3 ऋषिकेश शर्मा पुत्र बरदी चन्द शर्मा जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी चिन्दौलो का मौहल्ला फागी के शपथ पेश किये जो शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य प्रतिवादी हेतु डी०डब्लू 1 प्रतिवादी सं० 1 रामनिवास पुत्र रामगोपाल दत्तक पुत्र घासी, प्रतिवादी डी०डब्लू 2 राजेश पुत्र सत्यनारायण तिवाडी जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी चिन्दौलो का मौहल्ला फागी जिला दूदू के शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये वादीगण का वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 ने अपनी बहस मे वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिकी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 - 2075 वाके ग्राम फागी पश्चिम प्रदर्श 1 के खाता सं० 524 रामनिवास दत्तक पुत्र घासी हिस्सा पूर्ण, प्रदर्श 2 खाता सं० 693 रामनिवास दत्तक पुत्र घासी हिस्सा 1/2, खाता सं० 694 रामनिवास दत्तक पुत्र घासी हिस्सा 1/3, प्रदर्श 3 खाता सं० 696 रामनिवास दत्तक पुत्र घासी हिस्सा 1/2, प्रदर्श 4 वाके ग्राम फागी दक्षिण के खाता सं० 390 रामनिवास दत्तक पुत्र घासी हिस्सा पूर्ण, प्रदर्श 19 वाके ग्राम फागी उत्तर के खाता सं० 570 रामनिवास दत्तक पुत्र घासी हिस्सा पूर्ण दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक प्रदर्श 5 लगायत 14 व 18 के अनुसार खाता सं० 783, 546, 547, 694, 695, 709, 677, 678, 593, 423, 370 मे वादीगण व प्रतिवादी सं० 2 लगायत 3 का हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक प्रदर्श 15 के अनुसार

लगातार.....5  
उपखण्ड अधिकारी  
फागी, जिला - दूदू

(5)



नामान्तकरण सं० 1218 के द्वारा रामगोपाल पुत्र भूरा के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया गया। जिसमें प्रतिवादी सं० 1 के नाम भी नामान्तकरण तस्दीक किया गया। मुताबिक प्रदर्श 16 व 17 के अनुसार नामान्तकरण सं० 826 व 4315 में अंकित सिजरा खानदान में प्रतिवादी सं० 1 को गोद जाना अंकित किया है एवं प्रतिवादी सं० 1 के नाम नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया गया है। पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है वादी व प्रतिवादीगण ने अपने राजीनामा में वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ने जरिये राजीनामा डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने राजीनामा में अपना हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में न्यायालय वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 524 के आराजी खसरा नम्बर 484, 485, 507, 508, 510, 513, 5581, 5582, 5934, 5935, 5939, 5941, 5950, 5957, 6511, 6519, 6520, 6522, 6529, 6532, 6550, 6554, 6556, 6607, 6617, 6671, 6673 कुल किता 27 कुल रकबा 15.4650 हैक्टेयर, खाता संख्या 693 के खसरा नम्बर 5965, 5966 कुल किता 2 कुल रकबा 2.0738 हैक्टेयर, खाता संख्या 694 के खसरा नम्बर 5946 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, खाता संख्या 696 के खसरा नम्बर 5959 रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी व खाता संख्या 390 के खसरा नम्बर 7026, 7027 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3162 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी व खाता संख्या 570 के खसरा नम्बर 1180, 1181, 1377, 1378 कुल किता 4 कुल रकबा 1.3909 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर हॉल जिला दूदू व खाता संख्या 783 के ख०न० 6675 रकबा 1.2266 हैक्टेयर खाता संख्या 546 के ख०न० 487, 488, 518, 5956, 605, 6525, 6526, 6527, 6557, 6566, 6615, 6616, 6669, 6670, 6794, 6991, 6992 कुल किता 17 कुल रकबा 10.2298 हैक्टेयर, खाता संख्या 547 के ख०न० 6608 रकबा 1.9726 हैक्टेयर, खाता संख्या 694 के ख०न० 5946 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, खाता संख्या 695 के ख०न० 5928 रकबा 2.4658 हैक्टेयर, खाता संख्या 709 के ख०न० 6533 रकबा 2.0485 हैक्टेयर, खाता संख्या 677 के ख०न० 483 रकबा 1.1128 हैक्टेयर, खाता संख्या 678 के ख०न० 6570, 6571 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2771 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम

लगातार.....6

उपखण्ड अधिकारी  
फागी, जिला-दूदू

(6)

तहसील फागी, खाता संख्या 593 के आराजी ख०न० 1179, 1382 कुल किता 2 कुल रकबा 5058 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी, खाता संख्या 423 के ख०न० 7015, 7016, 7017, 7018, 7020, 7021 कुल किता 6 कुल रकबा 0.7713 हैक्टेयर, खाता संख्या 370 के आराजी खसरा नम्बर 7023, 7029, 7066 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5690 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात मे वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 लगायत 3 के नाम दर्ज हिस्से की आराजी मे से वादीगण को 1/4 - 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी सं० 1 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि बैंक का नो ड्यूज प्राप्त होने पर उक्त निर्णय की पालना नियमानुसार सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



5/4/24  
(राकेश कुमार II)  
उपखण्ड अधिकारी  
फागी, जिला दूदू

सत्यमेव जयते

## डिक्री मुकदमा इब्दाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास- राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान



1. रामलाल
2. भगवान सहाय
3. गणेशनारायण

पिसरान रामगोपाल जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

बनाम

1. रामनिवास पुत्र रामगोपाल दत्तक पुत्र घासी जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
2. सीता देवी पुत्री रामगोपाल जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
3. सरजू देवी पत्नि रामगोपाल जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
4. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
5. जयपुर नागौर ऑचलिक ग्रामीण बैंक नवीन नाम राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
6. पंजाब नेशनल बैंक शाखा फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

::-- वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::--

मु0न0:- 63/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीगण श्री प्रेमचन्द शर्मा हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री लक्ष्मण सिंह चौधरी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादगस्त आराजी खतौनी संख्या 524 के आराजी खसरा नम्बर 484, 485, 507, 508, 510, 513, 5581, 5582, 5934, 5935, 5939, 5941, 5950, 5957, 6511, 6519, 6520, 6522, 6529, 6532, 6550, 6554, 6556, 6607, 6617, 6671, 6673 कुल किता 27 कुल रकबा 15.4650 हैक्टेयर, खाता संख्या 693 के खसरा नम्बर 5965, 5966 कुल किता 2 कुल रकबा 2.0738 हैक्टेयर, खाता संख्या 694 के खसरा नम्बर 5946 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, खाता संख्या 696 के खसरा नम्बर 5959 रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी व खाता संख्या 390 के खसरा नम्बर 7026, 7027 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3162 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी व खाता संख्या 570 के खसरा नम्बर 1180, 1181, 1181, 1377, 1378 कुल किता 4 कुल रकबा 1.3909 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर हॉल जिला दूदू व खाता संख्या 783 के ख0न0 6675 रकबा 1.2266 हैक्टेयर खाता संख्या 546 के ख0न0 487, 488, 518, 5956, 605, 6525, 6526, 6527, 6557, 6566, 6615, 6616, 6669, 6670, 6794, 6991, 6992 कुल किता 17 कुल रकबा 10.2298 हैक्टेयर, खाता संख्या 547 के ख0न0 6608 रकबा 1.9726 हैक्टेयर, खाता संख्या 694 के ख0न0 5946 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, खाता संख्या 695 के ख0न0 5928 रकबा 2.4658 हैक्टेयर, खाता संख्या 709 के ख0न0 6533 रकबा 2.0485 हैक्टेयर, खाता संख्या 677 के ख0न0 483 रकबा 1.1128 हैक्टेयर, खाता संख्या 678 के ख0न0 6570, 6571 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2771 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी, खाता संख्या 593 के आराजी ख0न0 1179, 1382 कुल किता 2 कुल रकबा 5058 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी, खाता संख्या 423 के ख0न0 7015, 7016, 7017, 7018, 7020, 7021 कुल किता 6 कुल रकबा 0.7713 हैक्टेयर, खाता संख्या 370 के आराजी खसरा नम्बर 7023, 7029, 7066 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5690 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात मे वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 के नाम दर्ज हिस्से की आराजी मे से वादीगण को 1/4 - 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी सं0 1 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

निज..... मुबलिंग..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के  
मय सूद बशरह ..... फीसदी..... सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी  
तक ..... का अदा करे।

वसदत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/04/2024 को जारी की गई।

मुहर



उपखण्ड अधिकारी  
फागी जिला-दूदू  
आहिवा.....


कृ0प0उ0

रामलाल वर्गो बनाम रामनिवास वर्गो  
मु०न०:- 63/2020  
निर्णय दिनांक:- 04.04.2024

मुद्दे	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					



  
उपखण्ड अधिकारी  
फार्गी जिला - दूदू



सत्यमेव जयते